[2024] 8 एस.सी.आर. 1532 : 2025 आई.एन.एस.सी 1038

चौदम्मा (मृतक) विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य

बनाम

वेंकटप्पा (मृतक) विधिक प्रतिनिधिगण एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या - 11330/2011)

25 अगस्त 2025

[संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्रा,* जे.जे.]

विचारणीय मुद्दा

यह प्रश्न उठा कि क्या उत्तरदाता, मुख्य रूप से पी.डब्लू 2 की मौखिक गवाही के आधार पर, अपनी माँ और मृतक के बीच एक वैध वैवाहिक संबंध स्थापित करने में सफल रहे; और क्या औपचारिक दस्तावेजी प्रमाण के अभाव में, मृतक और उत्तरदाताओं की माँ के बीच के संबंध को एक वैध वैवाहिक मिलन माना जा सकता है।

शीर्ष टिप्पणियाँ †

साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 50 - रिश्ते का सबूत - विवाह की उपधारणा - अपीलकर्ता सं. 1 - मृतक की दूसरी पत्नी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, और अपना तथा अपने बच्चों का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवा लिया - इसी आधार पर, अपीलकर्ताओं - दूसरी पत्नी और उसके बेटे ने उत्तरदाताओं - मृतक की पहली पत्नी के बच्चों को, विवादित संपत्ति पर संयुक्त कब्ज़ेदार मानने से इनकार कर दिया - उत्तरदाताओं ने विवादित संपत्ति के बँटवारे की माँग की - अपीलकर्ताओं का पक्ष यह था कि अपीलकर्ता सं. 1 ही मृतक की एकमात्र पत्नी है, और इसलिए, उत्तरदाताओं का विवादित संपत्ति पर कोई अधिकार, हक या हित नहीं है; उन्होंने मृतक के उत्तरदाता की माँ के साथ विवाह होने से इनकार किया और दावा किया कि उन्हें संपत्ति मृतक और उसके भाई के बीच हुए बँटवारे के परिणामस्वरूप विरासत में मिली है - ट्रायल कोर्ट ने वाद खारिज कर दिया - हाई कोर्ट ने पी.डब्लू 2 के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, जिसने उत्तरदाताओं की माँ और मृतक के बीच के रिश्ते को साबित किया था, उत्तरदाताओं के पक्ष में वाद का निर्णय दिया - औचित्य:

अभिनिर्धारित: पी.डब्लू2 की गवाही, जो उसी गाँव में रहने वाले व्यक्ति की है और जिसका उत्तरदाताओं तथा अपीलकर्ताओं दोनों से लंबे समय से परिचय है, साथ ही जिसे मृतक और उत्तरदाता की माँ के बीच के संबंधों से जुड़ी घटनाओं की जानकारी भी है, उसे केवल सुनी-सुनाई बात (hearsay) कहकर खारिज नहीं किया जा सकता - इसके विपरीत, यह उन घटनाओं का वर्णन है जिन्हें उसने स्वयं देखा है या जिनके बारे में उसे सीधे तौर पर जानकारी है - ऐसा साक्ष्य, जो व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित है, धारा 50 के दायरे में आता है - अतः, समकालीन दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में, पी.डब्लू2 का साक्ष्य मृतक और उत्तरदाता की माँ के बीच के संबंध की प्रकृति को स्थापित करने में साक्ष्य के तौर पर

महत्वपूर्ण हो जाता है - उसका साक्ष्य धारा 50 के अनुरूप है और यह व्यक्तिगत जानकारी तथा उत्तरदाताओं और अपीलकर्ताओं दोनों से लंबे समय के परिचय पर आधारित है - पी.डब्लू2 की गवाही पर जिरह (cross-examination) के दौरान कोई आँच नहीं आई और यह इस निष्कर्ष की ओर संकेत करती है कि मृतक और उत्तरदाता की माँ के बीच एक वैध वैवाहिक संबंध विद्यमान था - यद्यपि वंशावली (genealogical tree) अपने आप में कोई निर्णायक प्रमाण नहीं होती, फिर भी यह पुष्टिकारी साक्ष्य के रूप में कार्य करती है और जब इसे पी.डब्लू2 की मौखिक गवाही के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, तो यह मृतक और उत्तरदाता की माँ के बीच एक वैध वैवाहिक संबंध के निष्कर्ष का समर्थन करती है - जहाँ तक विवाह की उपधारणा (presumption) का प्रश्न है, वादियों ने उन पर डाले गए सबूत के बोझ को सफलतापूर्वक निभा दिया है - उन्होंने यह पर्याप्त रूप से स्थापित कर दिया है कि मृतक उनकी माँ के साथ पति-पत्नी के रूप में रहता था - अपीलकर्ता, उत्तरदाता की माँ और मृतक के बीच हुए वैध विवाह के तथ्य को गलत साबित करने के अपने दायित्व को निभाने में असफल रहे - इसके अतिरिक्त, राजस्व अभिलेखों पर भरोसा करना व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे अभिलेखों का केवल उपधारात्मक मूल्य होता है और वे स्वामित्व (title) प्रदान नहीं करते - अपीलकर्ता संख्या 1, यद्यपि सुनवाई के दौरान न्यायालय में शारीरिक रूप से उपस्थित थी, फिर भी उसने उत्तरदाताओं के दावों का खंडन करने के लिए गवाह के कटघरे (witness box) में आने से परहेज़ किया, और साथ ही उसने जानबूझकर उन लोगों के लिए उपलब्ध वैधानिक उपचार को भी नज़रअंदाज़ कर दिया जो शारीरिक अक्षमता का दावा करते हैं - अपनी कथित अक्षमता के समर्थन में कोई ठोस चिकित्सीय साक्ष्य न होने के कारण, गवाह के कटघरे से उसका परहेज़ करना, उस पर पड़े साक्ष्य के बोझ से बचने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास माना जाएगा - साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(जी) के तहत प्रतिकूल उपधारणा (adverse presumption) अनिवार्य हो जाती है - जहाँ जानकारी देने का कर्तव्य विद्यमान हो, वहाँ न्यायालय (Court of law) जानबूझकर साधी गई चुप्पी को कोई संरक्षण प्रदान नहीं कर सकता - उत्तरदाताओं ने अपने दावे को, पी.डब्लू2 का बयान, जो निजी जानकारी और लंबे समय की जान-पहचान पर आधारित था, जिरह की कड़ी जाँच में भी खरा उतरा - उनकी गवाही, जो अडिग और एक जैसी थी, को उत्तरदाताओं द्वारा पेश किए गए वंशावली चार्ट से और भी ज़्यादा पुष्टि मिली - इस तरह, यह साबित हो जाता है कि उत्तरदाताओं ने कानून द्वारा उन पर डाला गया सबूतों का बोझ वहन कर दिया है - इसके विपरीत, अपीलकर्ताओं के पास न तो कोई ठोस सबूत था और न ही कोई ईमानदारी; उन्होंने सिर्फ़ बातों से इनकार करने का सहारा लिया - जब संभावनाओं के पलड़े पर तौला जाता है, तो पलड़ा साफ़ तौर पर उत्तरदाताओं

के पक्ष में झुक जाता है - जिस फ़ैसले को चुनौती दी गई है, उसमें ऐसी कोई कमी नहीं है जिसके लिए उसमें दखल देने की ज़रूरत हो। [पैरा 25, 30-32, 42, 48, 49, 55-57, 59, 60] आत्महत्या कर ले। [पैरा 36, 39]

उद्धृत निर्णयजन्य विधि

दोलगोबिंदा परिचा बनाम निमाई चरण मिश्रा एवं अन्य **[1959] अनुपूरक 1 एस.सी.आर 814 : ए.आई.आर 1959 एस.सी.सी 914**; बिहार राज्य बनाम राधा कृष्ण सिंह एवं अन्य **[1983] 2 एस.सी.आर 808 : (1983) 3 एस.सी.सी 118**; बद्री प्रसाद बनाम उप-निदेशक, चकबंदी एवं अन्य **[1979] 1 एस.सी.आर 1 : (1978) 3 एस.सी.सी 527**; अनिल ऋषि बनाम गुरबख्श सिंह **[2006] अनुपूरक 1 एस.सी.आर 659 : (2006) 5 एस.सी.सी558**; अडगाडा राघवाम्मा एवं अन्य बनाम अडगाडा चेंचम्मा एवं अन्य **[1964] 2 एस.सी.आर 933 : 1963 एस.सी.सी ऑनलाइन एस.सी 37**; सूरज भान एवं अन्य बनाम वित्तीय आयुक्त एवं अन्य **[2007] 5 एस.सी.आर 155 : (2007) 6 एस.सी.सी 186**; विद्याधर बनाम मानिकराव एवं अन्य [1999] 1 **एस.सी.आर1168 : (1999) 3 एस.सी.सी 573 - संदर्भित।**

आंद्राहेंनेडिगे डिनोहामी एवं अन्य बनाम विजेटुंज लियानापाटाबेंडिज बालाहामी एवं अन्य, **1927 एस.सी.सी ऑनलाइन पी.सी 51**; मोहब्बत अली खान (वादी) बनाम मोहम्मद इब्राहिम खान एवं अन्य (प्रतिवादी), **1929 एस.सी.सी ऑनलाइन पी.सी 21 - संदर्भित।**

अधिनियमों की सूची

साक्ष्य अधिनियम, 1872; सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

प्रमुख शब्दों की सूची

बंटवारा; वैध वैवाहिक संबंध; मौखिक गवाही; वैध वैवाहिक मिलन माना जाना; औपचारिक दस्तावेज़ी प्रमाण का अभाव; राजस्व अभिलेख; वाद-सूची में वर्णित संपत्तियों पर संयुक्त कब्ज़ा; लंबे समय से चली आ रही जान-पहचान; सामुदायिक स्तर पर निकटता; पारिवारिक संबंधों से परिचय; ज्ञान के विशेष साधन; लंबे समय तक सहवास; वैध विवाह के पक्ष में अनुमान; सबूत का भार; राजस्व अभिलेखों का अनुमानित मूल्य; गवाह के कटघरे से दूर रहना; व्यक्तिगत जानकारी; संबंध की वैधता; निर्णायक प्रमाण; पुष्टिकारी साक्ष्य; हितबद्ध गवाह; डाला गया प्रभाव; राजस्व प्रविष्टियों में परिवर्तन।

मामले की उत्पत्ति

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 11330/2011

रेगुलर फर्स्ट अपील (आर.एफ.ए) सं०. 935/2005 में, बेंगलुरु स्थित कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 28.10.2010 के निर्णय और आदेश से।

चौदम्मा (मृतक) विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य बनाम
वेंकटप्पा (मृतक) विधिक प्रतिनिधिगण एवं अन्य

अधिवक्तागण

अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्तागण: सुश्री किरण सूरी वरिष्ठ अधिवक्ता, एस.जे. अमिथ, सुश्री ऐश्वर्या कुमार, डॉ. श्रीमती विपिन गुप्ता।

उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्तागण: जी वी चन्द्रशेखर वरिष्ठ अधिवक्ता, एन के वर्मा, सुश्री अपेक्षा डी, सुश्री अंजना चन्द्रशेखर।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

प्रशांत कुमार मिश्रा, जे.

1. यह अपील, बेंगलुरु स्थित कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा आर.एफ.ए सं० 935/2005 में दिनांक 28.10.2010 को पारित किए गए विवादित आदेश को चुनौती देती है; जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने वादियों द्वारा दायर उक्त अपील को स्वीकार करते हुए, ओ.एस. सं० 102/2001 में माननीय सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीज़न), होलालकेरे द्वारा दिनांक 24.03.2005 को दिए गए निर्णय को रद्द कर दिया, और परिणामस्वरूप वादियों द्वारा दायर विभाजन के वाद को डिक्री कर दिया।

2. ओ.एस. सं० 102/2001 के प्रतिवादीगण इस मामले में अपीलकर्ता हैं, और वादीगण उत्तरदाता हैं। सुविधा की दृष्टि से, पक्षकारों का उल्लेख ट्रायल कोर्ट के समक्ष उनकी स्थिति के अनुसार किया जाएगा।

वर्तमान विवाद से संबंधित वंशावली निम्नानुसार है:

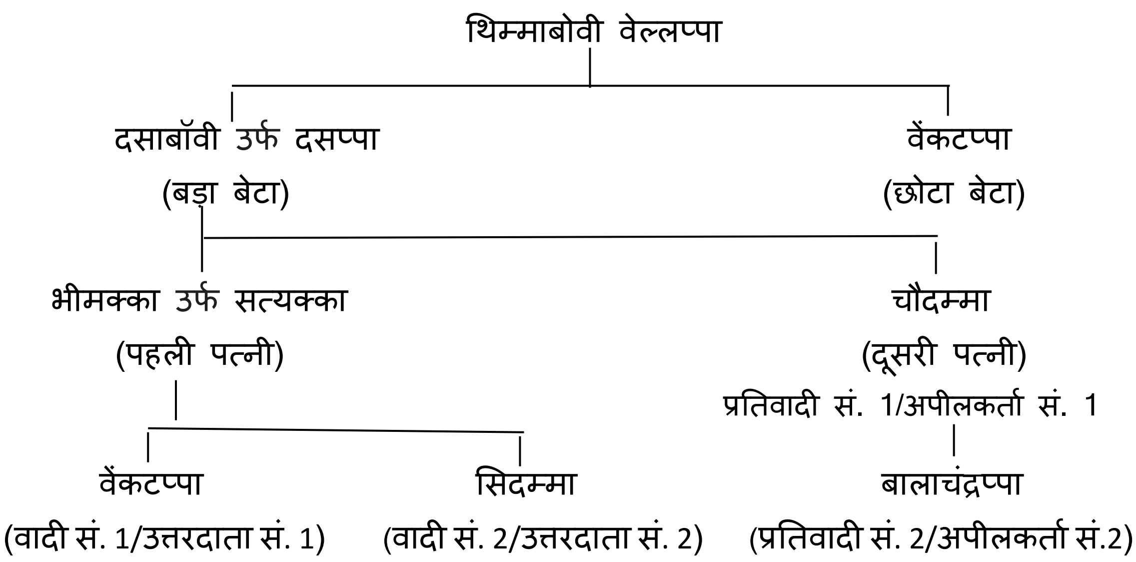

<u>तथ्यात्मक आधार</u>

3. वादी पक्ष का मामला यह है कि उनके दादा, जिनका नाम थिम्माबोवी वेल्लाप्पा था, के दो बेटे थे: दासाबोवी उर्फ दासाप्पा और वेंकटाप्पा। दासाबोवी की दो पत्नियाँ थीं। पहली पत्नी, भीमाक्का उर्फ सत्याक्का, वादियों की माँ हैं। दूसरी पत्नी, चौदम्मा, प्रतिवादी संख्या 1 हैं, और उनका बेटा प्रतिवादी संख्या 2 है। दासाबोवी की मृत्यु मुकदमा दायर होने से लगभग पाँच वर्ष पूर्व हो गई थी; वे अपने पीछे वादी संख्या 1 और 2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को छोड़ गए। मुकदमे से संबंधित ज़मीनें, जिनका सर्वे नंबर 39/1बी, 149, 41/1पी, 37/1, 37/1ए, और 29/9 है, तथा मकान संख्या 38, होसादुर्गा तालुक के देवीगेरे और कल्लाहल्ली गाँव में स्थित हैं।

4. मुकदमा दायर होने से लगभग पाँच साल पहले, दासाबोवी के पिता के जीवित रहते हुए, संपत्तियों का बँटवारा वादी के पिता और उनके भाई, वेंकटप्पा के बीच कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप, मुकदमे में शामिल ज़मीनें और मकान दासाबोवी के हिस्से में आए। बँटवारे के बाद, वादी संयुक्त परिवार की संपत्तियों के प्रबंधक बन गए, और वादी तथा प्रतिवादी, दोनों ही मुकदमे में शामिल संपत्तियों पर खेती कर रहे थे।

5. दासाबोवी के जीवनकाल के दौरान, होसादुर्गा के कल्लाहल्ली गाँव में स्थित एक अन्य संपत्ति, जिसका नंबर 37/1 था, संयुक्त परिवार के फंड से और संयुक्त परिवार के नाम पर खरीदी गई थी। हालाँकि, उक्त संपत्ति प्रतिवादी संख्या 1 (चौदम्मा) के नाम पर पंजीकृत की गई थी।

6. दासाबोवी की पहली पत्नी से वादी संख्या 1 और 2 के जन्म के बाद, उसे प्रतिवादी संख्या 1 (चौदम्मा) से प्यार हो गया और उसने उसके साथ संबंध बना लिया। कुछ समय बाद, उसे उसके घर ले आया गया और वह उसकी पत्नी के रूप में उसके साथ रहने लगी। दूसरी पत्नी के घर में आने के कारण, पहली पत्नी और उसके बच्चों को घर से निकाल दिया गया। परिणामस्वरूप, पहली पत्नी भीमाक्का, वादियों के साथ, अपने मायके अंथरागांगे गाँव चली गई।

7. भले ही पहली पत्नी और उसके बच्चों ने दासाबॉवी का घर छोड़ दिया था, फिर भी वह कई मौकों पर उनसे मिलने जाते रहे। दासाबॉवी की मृत्यु के बाद, वादी भी गलीरंगैयानहट्टी गाँव स्थित अपने पिता के आवास पर गए, क्योंकि वे वाद-सूची में शामिल संपत्तियों के संयुक्त कब्ज़े और उपभोग में थे।

8. आरोप है कि प्रतिवादी नंबर 1, जो पंचायत सदस्य थी, ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और राजस्व रिकॉर्ड में अपना तथा अपने बच्चों का नाम दर्ज करवा लिया। राजस्व प्रविष्टियों में हुए इस बदलाव के आधार पर, प्रतिवादियों ने वादियों को विवादित संपत्तियों का संयुक्त कब्जेदार मानने से इनकार कर दिया। अतः, वादियों को पारिवारिक संपत्तियों में अपने हिस्से की मांग करने के लिए विवश होना पड़ा। जब उनकी यह

चौदम्मा (मृतक) विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य बनाम
वेंकटप्पा (मृतक) विधिक प्रतिनिधिगण एवं अन्य

मांग ठुकरा दी गई, तो वादियों ने ओ.एस. सं० 102/2001 नामक मुकदमा दायर किया, जिसमें उन्होंने विवादित संपत्ति में अपने आधे हिस्से के विभाजन की मांग की है, साथ ही अन्य अनुषंगी राहतें भी मांगी हैं।

9. प्रतिवादियों ने यह तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 1, मृतक दासाबोवी की एकमात्र पत्नी है; अतः, वाद-सूची में वर्णित संपत्तियों पर वादियों का कोई अधिकार, हक या हित नहीं है। उन्होंने दासाबोवी और वादियों की माता के बीच हुए विवाह से इनकार किया, और यह दावा किया कि उन्हें ये संपत्तियाँ मृतक दासाबोवी और उनके भाई वेंकटप्पा के बीच हुए बँटवारे के परिणामस्वरूप विरासत में मिली हैं।

10. ट्रायल कोर्ट ने छह मुद्दे तय करने के बाद, वादियों का मुकदमा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर, वादियों ने हाई कोर्ट में एक रेगुलर फर्स्ट अपील सं० 935/2005 दायर की। हाई कोर्ट ने पी.डब्लू 2 (हनुमंथप्पा) की गवाही पर भरोसा करते हुए–जिससे वादियों की माँ और मृतक दासबोवी के बीच के रिश्ते की पुष्टि हुई थी–और यह देखते हुए कि प्रतिवादियों का पक्ष पूरी तरह से केवल इनकार पर आधारित था, आगे यह भी नोट किया कि प्रतिवादी नंबर 1 ने जान-बूझकर गवाह के कटघरे में न आने का फैसला किया था।

11. उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने ओ.एस. सं० 102/2001 में ट्रायल कोर्ट के निर्णय को रद्द कर दिया और वादियों के पक्ष में वाद का निर्णय सुनाया। इससे व्यथित होकर, प्रतिवादियों द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रविष्टियाँ

12. प्रतिवादियों/अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी कि हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए एक सुविचारित फैसले और डिक्री को रद्द करके स्पष्ट रूप से गलती की है। यह तर्क दिया गया है कि वादी/उत्तरदाता, जैसा कि उन्होंने खुद स्वीकार किया है, उस गाँव में नहीं रह रहे थे जहाँ विवादित संपत्ति स्थित है। इसलिए, उनका यह दावा कि वे विवादित संपत्ति के संयुक्त कब्ज़े में थे, टिकने लायक नहीं है। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि वादी/उत्तरदाता यह साबित करने के लिए ठोस और विश्वसनीय सबूत पेश करने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं कि वादी की माँ की शादी दासाबोवी से हुई थी। केवल वंशावली पेश करना ही शादी के तथ्य का सबूत नहीं है। ज़ोर देकर यह कहा गया है कि हाई कोर्ट का, प्रतिवादी नंबर 1 के गवाही न दे पाने के आधार पर उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना पूरी तरह से अनुचित था, क्योंकि वह गठिया (arthritis) की बीमारी के कारण चिकित्सकीय रूप से अस्वस्थ थी। यह भी तर्क दिया गया है कि वादी अपनी माँ और दासाबोवी के बीच एक वैध

शादी के अस्तित्व को साबित करने का दायित्व निभाने में असफल रहे। इसके अलावा, यह भी तर्क दिया गया है कि हाई कोर्ट इस बात को समझने में चूक गया कि राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादियों के नाम पर हैं, और वादियों द्वारा चुनौती दिए जाने के बावजूद, उच्च राजस्व अधिकारियों ने उनके दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वे यह साबित करने में असफल रहे हैं कि वे मृतक दासाबोवी के कानूनी वारिस हैं।

13. इसके विपरीत, वादियों/उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि ट्रायल कोर्ट ने वादियों की माँ और दासाबोवी के विवाह के संबंध में एक गलत निष्कर्ष दर्ज किया है, जबकि रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत मौजूद थे। इस स्थिति को देखते हुए, हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ढंग से रद्द कर दिया है, जिसमें इस अपील में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। वादियों/उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, वादियों के सबूतों को पढ़ने पर–विशेष रूप से पी.डब्लू2 (हनुमंथप्पा) के बयान को–यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि वादियों की माँ का विवाह दासाबोवी से हुआ था। प्रतिवादी संख्या 1 ने इस तथ्य को गलत साबित करने के लिए गवाह के कटघरे में कदम नहीं रखा। हाई कोर्ट ने सही निष्कर्ष निकाला है कि वादियों की माँ का विवाह दासाबोवी से हुआ था। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि राजस्व रिकॉर्ड न तो स्वामित्व का प्रमाण होते हैं और न ही उनका उपयोग विवाह के तथ्य को साबित करने के लिए किया जा सकता है। वादियों द्वारा अपने सबूत पेश करने का दायित्व सफलतापूर्वक पूरा कर लिए जाने के बाद, यह दायित्व प्रतिवादियों पर आ गया था, जिसे उन्होंने पूरा नहीं किया। इसलिए, विवाह के संबंध में दिया गया निष्कर्ष निर्विवाद है। उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता इस अपील को खारिज करने का अनुरोध करते हैं।

<u>विश्लेषण</u>

14. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

15. प्रतिवादियों का पक्ष यह है कि थिम्माबोवी वेल्लाप्पा नामक एक व्यक्ति के दो बेटे थे, जिनका नाम दासाबोवी और वेंकटप्पा था। वर्ष 1962-1963 में एक बँटवारा हुआ था, और मद संख्या 1 से 3 दासाबोवी के हिस्से में आए थे। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि मद संख्या 4 से 6 बाद में दासाबोवी द्वारा पंजीकृत विक्रय-पत्रों के माध्यम से खरीदे गए थे। प्रतिवादियों का तर्क है कि मृतक दासाबोवी ने वादियों की माँ से कभी विवाह नहीं किया था, और यह कि प्रतिवादी संख्या 1, चौदम्मा, ही मृतक दासाबोवी की एकमात्र पत्नी है। प्रतिवादियों ने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि वादी

कभी भी वाद-सूची में वर्णित संपत्तियों के कब्ज़े में नहीं रहे, और इस बात से इनकार किया कि वादी और प्रतिवादी गलीरंगैयानहट्टी या कल्लहल्ली में संयुक्त रूप से एक साथ रह रहे थे।

16. दूसरी ओर, वादियों का तर्क है कि उनकी माँ मृतक दासाबोवी की पहली पत्नी थीं। उन्होंने कहा कि जब दासाबोवी ने एक कम उम्र की महिला से शादी कर ली, तो उनकी माँ को वैवाहिक घर छोड़कर अपने मायके में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोनों पक्ष इस बात को स्वीकार करते हैं कि मृतक दासाबोवी के नाम पर दर्ज संपत्तियाँ पैतृक प्रकृति की थीं।

17. हमारे विचारार्थ जो मुख्य मुद्दा सामने आता है, वह यह है कि क्या वादीगण अपनी माता भीमाक्का उर्फ सत्याक्का और मृतक दासाबॉवी के बीच एक वैध वैवाहिक संबंध स्थापित करने में सफल रहे हैं–मुख्यतः पी.डब्लू2 (हनुमंथप्पा) की मौखिक गवाही के आधार पर।

18. हाई कोर्ट ने, वादियों की माँ और मृतक दासाबोवी के बीच वैध वैवाहिक संबंध के मुद्दे पर विचार करते हुए, पी.डब्लू2 (हनुमंथप्पा) के सबूतों पर भरोसा किया। गवाह ने अपने बयान में कहा कि वह वादियों और प्रतिवादियों, दोनों के परिवारों को जानता है। उसने अपने बयान में आगे कहा कि मृतक दासाबोवी ने वादियों की माँ, भीमक्का से शादी की थी, और उससे वादी नंबर 1 और 2 पैदा हुए थे। बाद में, मृतक दासाबोवी ने प्रतिवादी नंबर 1 से शादी कर ली, जिसके कारण वादियों की माँ को वैवाहिक घर से निकाल दिया गया। उसके बाद, वह अंथरागांगे गाँव में अपने मायके में रहने लगी। गवाह ने आगे गवाही दी कि मृतक दासाबोवी नियमित रूप से अंथरागांगे गाँव में वादियों और उनकी माँ से मिलने आता था। पी.डब्लू2 ने यह भी कहा कि मृतक की मृत्यु के बाद भी, वादी नियमित रूप से खेती के कामों में हिस्सा लेने के लिए अपने पिता के गाँव जाते थे।

19. यह देखा गया है कि, पी.डब्लू1 (वेंकटप्पा) और डी.डब्लू1 (बालचंद्रप्पा) दोनों ही हितबद्ध गवाह हैं, इसलिए मृतक दासबोवी और वादियों की माँ के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, डी.डब्लू3 (थिम्मप्पा)–जो दासबोवी के पिता की बहन का बेटा है–प्रतिवादियों के दावे का समर्थन करता है। हालाँकि, उसे मृतक दासबोवी और वादियों की माँ के बीच किसी भी विवाह के बारे में कोई जानकारी नहीं है। डी.डब्लू4 (वी. थिम्मप्पा)–जो दासबोवी के भाई का बेटा है–ने भी डी.डब्लू3 की ही तरह गवाही दी है।

20. मौजूदा मामले में, मृतक दासाबोवी और वादियों की माँ के बीच वैवाहिक संबंध को निर्णायक रूप से स्थापित करने के लिए दस्तावेज़ी और समकालीन सामग्री की कमी है। ऐसी परिस्थितियों में, सर्वोत्तम संभव साक्ष्य का अत्यंत महत्व हो जाता है। पी.डब्लू

2 (हनुमंथप्पा) की गवाही ही एकमात्र ऐसा साक्ष्य है जो इस तरह के संबंध के अस्तित्व के समर्थन में प्रस्तुत किया गया है। तदनुसार, पी.डब्लू2 की गवाही के साक्ष्य-मूल्य की जाँच, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872[1] की धारा 50 के तहत निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में की जानी चाहिए।

<u>संबंध का प्रमाण</u>

21. साक्ष्य अधिनियम की धारा 50 में "संबंध के विषय में राय, कब सुसंगत है" के संबंध में प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान को, त्वरित संदर्भ के लिए, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> **"50.** रिश्ते के बारे में राय, जब प्रासंगिक हो।–जब न्यायालय को एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ रिश्ते के बारे में कोई राय बनानी हो, तो ऐसे रिश्ते के अस्तित्व के बारे में आचरण द्वारा व्यक्त की गई राय, या किसी ऐसे व्यक्ति की राय, जिसे परिवार के सदस्य के रूप में या किसी अन्य प्रकार से, इस विषय पर जानकारी के विशेष साधन प्राप्त हों, एक प्रासंगिक तथ्य है:
>
> बशर्ते कि ऐसी राय, 'भारतीय तलाक़ अधिनियम, 1869' (1869 का 4) के तहत कार्यवाही में, या 'भारतीय दंड संहिता' (45/1860) की धारा 494, 495, 497 या 498 के तहत अभियोजन में, विवाह को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।
>
> रेखांकन
>
> **(i)** प्रश्न यह है कि क्या ए और बी विवाहित थे।
> यह तथ्य कि उनके मित्र आमतौर पर उन्हें पति-पत्नी के रूप में ही स्वीकार करते थे और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते थे, प्रासंगिक है।
>
> **(ii)** प्रश्न यह है कि क्या ए, बी का वैध पुत्र था। यह तथ्य कि परिवार के सदस्यों द्वारा ए के साथ सदैव वैसा ही व्यवहार किया गया, सुसंगत है।

22. साक्ष्य अधिनियम की धारा 50 के मूल सिद्धांत को इस न्यायालय ने **दोलगोबिंदा परिचा बनाम निमाई चरण मिश्रा एवं अन्य** [2] के मामले में स्पष्ट किया है, जिसमें इस न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी:

---

1 संक्षेप में, "साक्ष्य अधिनियम"

2 ए.आई.आर 1959 एस.सी 914.

चौदम्मा (मृतक) विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य बनाम
वेंकटप्पा (मृतक) विधिक प्रतिनिधिगण एवं अन्य

1. **"(6)....**जब अदालत को एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध के बारे में कोई राय बनानी हो, तो उस संबंध के विषय में विशेष जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने आचरण से व्यक्त की गई राय, कि ऐसा संबंध मौजूद है, एक प्रासंगिक तथ्य है। इस धारा के साथ दिए गए दो उदाहरण इस धारा के वास्तविक दायरे और प्रभाव को स्पष्ट रूप से सामने लाते हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस धारा की मुख्य आवश्यकताएँ ये हैं – (1) ऐसा कोई मामला होना चाहिए जहाँ अदालत को एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध के बारे में कोई राय बनानी हो; (2) ऐसे मामले में, उस संबंध के अस्तित्व के बारे में आचरण से व्यक्त की गई राय एक प्रासंगिक तथ्य होती है; (3) लेकिन जिस व्यक्ति की आचरण से व्यक्त की गई राय प्रासंगिक मानी जाएगी, वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास, परिवार के सदस्य के रूप में या किसी अन्य रूप में, उस विशेष संबंध के विषय में जानकारी के विशेष साधन हों; दूसरे शब्दों में, उस व्यक्ति को धारा के बाद वाले भाग में निर्धारित शर्त को पूरा करना होगा। यदि वह व्यक्ति उस शर्त को पूरा करता है, तो जो बात प्रासंगिक है, वह है उसका आचरण से व्यक्त किया गया मत। 'मत' (Opinion) का अर्थ केवल गपशप या सुनी-सुनाई बातों को दोहराना मात्र नहीं है; इसका अर्थ है निर्णय या विश्वास – यानी, किसी विशेष प्रश्न पर व्यक्ति की अपनी सोच से उत्पन्न होने वाला कोई विश्वास या दृढ़ धारणा। अब, यह 'विश्वास' या दृढ़ धारणा व्यक्ति के आचरण या व्यवहार में प्रकट हो सकती है, जो उस विश्वास या मत के अस्तित्व को इंगित करता है। ..."

23. पी.डब्लू 2 (हनुमंथप्पा), जिनकी उम्र 75 वर्ष है और जो भद्रावती तालुक के अंथरागांगे गाँव के निवासी हैं, ने 08.02.2005 को दी गई अपनी गवाही में इस बात की पुष्टि की कि उन्हें मृतक दासाबॉवी और वादियों की माँ के बीच के रिश्ते की व्यक्तिगत जानकारी है। उन्होंने बताया कि वे वादियों की माँ और प्रतिवादी संख्या 1, दोनों से परिचित थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मृतक दासाबॉवी ने 57 वर्ष पूर्व अंथरागांगे गाँव में, अपने समुदाय की प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार, वादियों की माँ भीमाक्का से विवाह किया था।

24. पी.डब्लू 2 (हनुमंथप्पा) ने आगे यह दावा किया कि वादियों की माँ, मृतक दासबोवी की पहली पत्नी थीं, और मृतक दासबोवी तथा वादियों की माँ गलीरंगैयानहट्टी में रहते थे, जहाँ वादियों का जन्म हुआ था। उन्होंने बताया कि बाद में मृतक दासबोवी, प्रतिवादी संख्या 1 को घर ले आए, और उनके कहने पर वादियों को घर से निकाल

दिया गया, जिसके कारण उन्हें अंथरागांगे गाँव में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। पी.डब्लू 2 ने यह भी गवाही दी कि मृतक दासबोवी कई मौकों पर अंथरागांगे गाँव गए थे। उनकी मृत्यु के बाद भी, वादी खेती-बाड़ी के कामों में हिस्सा लेने के लिए मृतक के गाँव जाते रहे।

25. पी.डब्लू 2 (हनुमंथप्पा) की गवाही–जो उसी गाँव में रहने वाले और वादियों तथा प्रतिवादियों, दोनों से लंबे समय से परिचित व्यक्ति की है–और साथ ही मृतक दासबोवी तथा वादियों की माँ के बीच के संबंधों से जुड़ी घटनाओं के बारे में उनकी जानकारी को, केवल सुनी-सुनाई बात (hearsay) कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत, यह उन घटनाओं का वर्णन है जिन्हें उन्होंने स्वयं अपनी आँखों से देखा है या जिनके बारे में उन्हें सीधे तौर पर जानकारी है। इस प्रकार का साक्ष्य, जो व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 50 के दायरे में आता है।

<u>वंशावली का प्रमाण</u>

26. इस मोड़ पर, वंशावली प्रदर्शित.पी-7 का ज़िक्र करना उचित होगा, जिसे वादियों ने पेश किया है। यह वंशावली वृक्ष वादियों के, मृतक दासबोवी से उनकी पहली पत्नी, भीमक्का के ज़रिए वंशक्रम को दर्शाता है। यह परिवार की दूसरी शाखा को भी दिखाता है, यानी पहली प्रतिवादी चौदम्मा (दूसरी पत्नी) और दूसरा प्रतिवादी (दूसरी पत्नी से जन्मा पुत्र)।

27. इस न्यायालय ने **बिहार राज्य बनाम राधा कृष्ण सिंह एवं अन्य**[3] के मामले में इस बात पर ज़ोर दिया:

> "**194.** हालाँकि, इस अध्याय को शुरू करने से पहले, उन नियमों और सिद्धांतों को फिर से बताना ज़रूरी हो सकता है जो मौखिक गवाही के आधार पर वंशावली साबित करने के तरीके को नियंत्रित करते हैं; इन्हीं नियमों और सिद्धांतों की रोशनी में हमें उक्त गवाही की जाँच करनी होगी। यह सच है कि वंशावली से जुड़ी मौखिक गवाही पर विचार करते समय, पूरी तरह से गणितीय दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता; क्योंकि जहाँ एक सदी से भी ज़्यादा समय तक फैली हुई वंश-परंपरा को साबित करना होता है, वहाँ यह ज़ाहिर है कि वंशावली के बारे में गवाही देने के लिए जिन गवाहों की जाँच की जाती है, उन्हें अपनी जानकारी के विशेष स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है–ऐसी जानकारी जो उन्हें शायद अपने पूर्वजों से मिली हो। लेकिन, साथ ही, केवल गवाहों की याददाश्त पर आधारित गवाही पर भरोसा करने में एक बड़ा जोखिम और गंभीर खतरा भी शामिल है; क्योंकि जो गवाह किसी मामले में दिलचस्पी रखते हैं, उनकी आम तौर पर यह प्रवृत्ति होती है कि वे अपनी कल्पना का ज़्यादा इस्तेमाल करें, या अपने पूर्वजों से सुनी हुई बातों को तोड़-

3 (1983) 3 एससीसी 118

मरोड़कर पेश करें, ताकि वे उन पक्षों की मदद कर सकें जिनके पक्ष में वे गवाही दे रहे हैं। इसलिए, अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे गवाहों की गवाही को स्वीकार न किया जाए जो पूरी तरह से कल्पना पर, या जानकारी के किसी काल्पनिक या भ्रामक स्रोत पर आधारित हो–न कि कानून द्वारा अपेक्षित जानकारी के किसी विशेष स्रोत पर। इस मामले पर गवाहों की मौखिक गवाही का 'सुनी-सुनाई बात' (hearsay) होना तय है; और उनकी गवाही को उस सामान्य नियम के अपवाद के तौर पर स्वीकार किया जाता है, जहाँ आमतौर पर सुनी-सुनाई गवाही स्वीकार्य नहीं होती। ...”

195. ऐसे गवाहों के साक्ष्य का मूल्यांकन करने के लिए, निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:

“(1) वह संबंध या जुड़ाव–चाहे वह कितना भी घनिष्ठ क्यों न हो, जो गवाह का उन व्यक्तियों के साथ है, जिनकी वंशावली के बारे में वह गवाही देना चाहता है।”

(2) ज्ञान के उन विशेष साधनों की प्रकृति और स्वरूप, जिनके माध्यम से गवाह को वंशावली के बारे में पता चला है।

(3) संबंधित गवाह की हितबद्ध प्रकृति।

(4) साक्षी द्वारा मुकदमे के बाद दिए गए किसी झूठे कथन अथवा विशेष ज्ञान के आधार पर न दिए गए, बल्कि विशुद्ध रूप से उसकी कल्पना से लिए गए कथन की संभावना को खारिज करने के लिए बरती जाने वाली सावधानी, तथा

(5) गवाह की गवाही की, जहाँ तक समय और स्मृति अनुमति दें, सारतः पुष्टि की जानी चाहिए।

28. हालाँकि, मौजूदा विवाद में, पी.डब्लू2 (हनुमंथप्पा) ने प्रदर्शित.पी-7 के तौर पर चिह्नित वंशावली चार्ट की न तो स्पष्ट रूप से पुष्टि की है और न ही उसका ज़िक्र किया है; फिर भी, उनकी गवाही न तो उसमें बताए गए पारिवारिक रिश्तों से हटकर है और न ही उनके विपरीत है। इसके विपरीत, उनका बयान मोटे तौर पर उस चार्ट में दर्शाई गई संरचना के अनुरूप ही है। पी.डब्लू2 ने वादियों के वंश और परिवार के भीतर उनके आपसी रिश्तों के बारे में पूरी जानकारी के साथ बयान दिया।

29. हालांकि पी.डब्लू2 (हनुमंथप्पा) किसी भी पक्ष का सगा-संबंधी नहीं है, फिर भी उसने वादियों और मृतक दासबोवी, दोनों के साथ अपनी पुरानी जान-पहचान दिखाई है। उसका वादियों के ही गाँव का निवासी होना, उनके बीच सामुदायिक स्तर की निकटता और विचाराधीन पारिवारिक संबंधों के साथ उसकी निरंतर जान-पहचान को दर्शाता है। यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 50 के तहत "ज्ञान के विशेष साधन" (special means of knowledge) की वैधानिक आवश्यकता को पूरा करता है। उसके बयानों की विशिष्टता–विशेष रूप से वादि की माँ और मृतक दासबोवी के बीच के संबंध की पहचान करने के मामले में–यह संकेत देती है कि वह अपनी निजी जानकारी के आधार पर बोल रहा है, न कि किसी अनुमान के आधार पर।

30. रिकॉर्ड पर ऐसा कोई भी सबूत मौजूद नहीं है जिससे यह लगे कि पी.डब्लू2 (हनुमंथप्पा) कोई 'हितबद्ध गवाह' (interested witness) है। उसका बयान किसी भी तरह की बनावट से मुक्त है और वह जिरह में भी खरा उतरा है। ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि उसकी गवाही को मुकदमे के हिसाब से गढ़ा गया हो, या उसे बाद में सोच-समझकर (पोस्ट लिटेम मोटम) पेश किया गया हो। उसकी पूरी बात गाँव में लंबे समय से चली आ रही जान-पहचान पर आधारित लगती है और उसमें एक स्वाभाविक निरंतरता दिखाई देती है।

31. अतः, परिस्थितियों की समग्रता में, और विशेष रूप से समकालीन दस्तावेजी साक्ष्य की अनुपस्थिति में, पी.डब्लू2 का साक्ष्य मृतक दासाबोवी और वादि की माँ के बीच संबंध की प्रकृति को स्थापित करने में साक्ष्यगत महत्व रखता है। उनका साक्ष्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 50 के अनुरूप है, और यह वादियों तथा प्रतिवादियों दोनों के साथ उनके व्यक्तिगत ज्ञान और लंबे समय से चली आ रही जान-पहचान पर आधारित है।

32. इस बात को इस तथ्य से और भी बल मिलता है कि पी.डब्लू2 की गवाही पर जिरह के दौरान कोई आँच नहीं आई, और यह इस निष्कर्ष का आधार बनती है कि मृतक दासबोवी और वादियों की माँ के बीच एक वैध वैवाहिक संबंध विद्यमान था। इसके अतिरिक्त, मृतक के निधन के बाद भी वादियों का उसके गाँव में नियमित रूप से आना-जाना, इस तथ्य की पुष्टि करता है कि वाद-भूमि पर खेती वादियों द्वारा ही की जा रही थी।

33. यद्यपि प्रदर्शित.पी-7 अपने आप में कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है, तथापि यह एक पुष्टिकारी साक्ष्य के रूप में कार्य करता है और जब इसे पी.डब्लू2 (हनुमंथप्पा) की मौखिक गवाही के साथ पढ़ा जाता है, तो यह मृतक दासबोवी और वादी की माँ के बीच एक वैध वैवाहिक संबंध होने के निष्कर्ष का समर्थन करता है।

<u>**विवाह की उपधारणा**</u>

34. इस मोड़ पर, यह सवाल उठाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि क्या, किसी औपचारिक

दस्तावेज़ी प्रमाण के अभाव में, दिवंगत दासाबॉवी और वादियों की माता के बीच के संबंध को एक वैध वैवाहिक मिलन माना जा सकता है।

35. **बद्री प्रसाद बनाम उप-निदेशक, कोंसोलीडेसन एवं अन्य**[4] का संदर्भ लेना लाभप्रद होगा, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया था: कोंसोलीडेसन

> **"....** जहाँ पति-पत्नी के रूप में दो साथी लंबे समय तक साथ रहे हों, वहाँ उनके विवाह के पक्ष में एक प्रबल धारणा उत्पन्न हो जाती है। यद्यपि यह धारणा खंडनीय है, तथापि उस व्यक्ति पर एक भारी दायित्व आ जाता है, जो इस संबंध को इसके विधिक मूल से वंचित करने का प्रयास करता है। विधि (कानून) वैधता का पक्ष लेती है और अवैधता को नापसंद करती है। ..."

36. इसी प्रकार, **आंद्राहेंनेडिगे डिनोहामी एवं अन्य बनाम विजेटुंज लियानापाटाबेंडिज बालाहामी एवं अन्य**[5] के मामले में, प्रिवी काउंसिल ने यह टिप्पणी की थी कि:

> **"....**जहाँ यह साबित हो जाता है कि एक पुरुष और एक स्त्री पति-पत्नी के रूप में साथ रहे हैं, वहाँ कानून यह मान लेगा–जब तक कि इसके विपरीत स्पष्ट रूप से साबित न हो जाए–कि वे किसी वैध विवाह के परिणामस्वरूप साथ रह रहे थे, न कि रखैल के रूप में।"

37. **मोहब्बत अली खान (वादी) बनाम मोहम्मद इब्राहिम खान एवं अन्य (प्रतिवादी)**[6] के मामले में, प्रिवी काउंसिल ने यह टिप्पणी की कि:

> **"...** जब कोई पुरुष और स्त्री कई वर्षों तक लगातार साथ-साथ रहते हैं, तो कानून विवाह के पक्ष में और बिना विवाह के साथ रहने (concubinage) के विरुद्ध यह धारणा बनाता है। ..."

38. ऊपर बताए गए कानूनी संदर्भों से यह पता चलता है कि कानूनी स्थिति एक ऐसी धारणा स्थापित करती है जो उस विवाह के पक्ष में होती है, जहाँ एक पुरुष और एक महिला लंबे समय तक और लगातार साथ रहे हों। हालाँकि, इस धारणा को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन इसे केवल ऐसे अकाट्य सबूतों से ही गलत साबित किया जा सकता है, जिन पर कोई संदेह न हो। कोई भी ऐसी परिस्थिति जो इस धारणा को कमज़ोर करती हो, उसे न्यायालय द्वारा नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए। उस पक्ष पर यह भारी ज़िम्मेदारी होती है, जो इस साथ रहने पर सवाल उठाना चाहता है और इस रिश्ते को कानूनी मान्यता से वंचित करना चाहता है।

---

4 (1978) 3 एस.सी.सी 527

5 1927 एस.सी.सी ऑनलाइन पी.सी 51

6 1929 एस.सी.सी ऑनलाइन पी.सी 21

39. पी.डब्लू2 (हनुमंथप्पा) के बयान से यह बात सामने आती है कि मृतक दासबोवी, अंतरागंगे गाँव में वादि की माँ और वादी संख्या 1 और 2 से नियमित रूप से मिलने आते थे। इसलिए, यह उचित अनुमान लगाया जा सकता है कि मृतक दासबोवी ने प्रतिवादी संख्या 1 से शादी करने के बाद भी वादि की माँ के साथ अपना संबंध बनाए रखा। इसके परिणामस्वरूप, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मृतक दासबोवी और वादियों की माँ पति-पत्नी के रूप में साथ रहे थे।

40. इस तरह लंबे समय तक साथ रहना, और साथ में पी.डब्लू2 (हनुमंथप्पा) की गवाही, एक वैध विवाह के पक्ष में एक मज़बूत अनुमान पैदा करता है। हालाँकि यह अनुमान गलत साबित किया जा सकता है, लेकिन इस रिश्ते की वैधता को गलत साबित करने का ज़िम्मा प्रतिवादी सं० 1 पर है। इस मामले में, प्रतिवादी सं० 1 ने, सिर्फ़ इनकार करने के अलावा, मृतक दासबोवी और वादियों की माँ के बीच एक वैध विवाह के अनुमान को गलत साबित करने के लिए कोई भी ठोस सबूत–चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेज़ी–पेश नहीं किया है।

41. यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि सबूत का भार उस पक्ष पर होता है जो किसी तथ्य का दावा करता है। प्रस्तुत मामले में, वादियों ने स्पष्ट रूप से यह दावा किया है कि मृतक दासाबोवी का उनकी माँ के साथ एक वैध वैवाहिक संबंध था। इस दावे की पुष्टि पी.डब्लू2 (हनुमंथप्पा) की मौखिक गवाही से, मृतक दासाबोवी के लगातार वादियों के निवास पर आने के सुसंगत आचरण से, और प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से किसी भी विपरीत सामग्री के अभाव से होती है।

42. उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की यह राय है कि वादियों ने उन पर डाले गए सबूत के भार को पूरा कर दिया है। उन्होंने यह पर्याप्त रूप से सिद्ध कर दिया है कि मृतक दासाबोवी, उनकी माता भीमाक्का उर्फ सत्याक्का के साथ पति-पत्नी के रूप में रहते थे।

<u>बर्डेन ऑफ प्रूफ और ओनुस ऑफ प्रूफ</u>

43. इस न्यायालय ने **अनिल ऋषि बनाम गुरबख्श सिंह**[7] में इस प्रकार टिप्पणी की:

> **"19.** इस मामले का एक और पहलू भी है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। 'सबूत का भार' (burden of proof) और 'सबूत की ज़िम्मेदारी' (onus of proof) के बीच एक अंतर होता है। 'शुरुआत करने का अधिकार' (right to begin) 'सबूत की ज़िम्मेदारी' (onus probandi) के साथ जुड़ा होता है। किसी मामले के शुरुआती चरण में इसका विशेष महत्व होता है। 'सबूत की ज़िम्मेदारी' का प्रश्न वहाँ अधिक ज़ोरदार होता है, जहाँ यह सवाल हो कि किस पक्ष को शुरुआत करनी है। 'सबूत का भार' शब्द का प्रयोग तीन तरह से किया जाता है: (i) किसी प्रस्ताव के समर्थन में, शुरुआत में या बाद में, सबूत पेश करने के कर्तव्य को

7 (2006) 5 एस.सी.सी 558

दर्शाने के लिए; (ii) सभी विरोधी सबूतों के बावजूद किसी प्रस्ताव को स्थापित करने के कर्तव्य के लिए; और (iii) एक सामान्य या अनिश्चित प्रयोग, जिसमें इसका अर्थ उपरोक्त दोनों में से कोई एक या दोनों हो सकता है। धारा 101 में दिया गया मूल नियम अटल है। धारा 102 के अनुसार, शुरुआती ज़िम्मेदारी हमेशा वादी (plaintiff) पर होती है; और यदि वह उस ज़िम्मेदारी को पूरा कर लेता है और ऐसा मामला बनाता है जो उसे किसी राहत का हकदार बनाता है, तो यह ज़िम्मेदारी प्रतिवादी (defendant) पर आ जाती है कि वह उन परिस्थितियों को साबित करे–यदि कोई हों–जो वादी को उस राहत से वंचित करती हों।"

44. इसके अतिरिक्त, **अडगाडा राघवाम्मा एवं अन्य बनाम अडगाडा चेंचम्मा एवं अन्य** [8] के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> **"12. …** 'सबूत के भार' (burden of proof) और 'सबूत की ज़िम्मेदारी' (onus of proof) के बीच एक ज़रूरी फ़र्क है: सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जिसे कोई तथ्य साबित करना होता है और यह कभी नहीं बदलता, लेकिन सबूत की ज़िम्मेदारी बदलती रहती है। …किसी खास मामले के हालात को देखते हुए, ऐसी बातों से सबूत की ज़िम्मेदारी बदल सकती है। सबूतों के मूल्यांकन में, ज़िम्मेदारी का इस तरह बदलना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। …"

45. जैसा कि यह देखा गया है कि वादियों ने विवाह के तथ्य के संबंध में अपने सबूत का भार सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, अतः अब इसे खंडित करने का दायित्व प्रतिवादियों पर आ गया है।

46. प्रतिवादियों ने, मृतक दासाबोवी और वादियों की माँ के बीच विवाह से इनकार करने के अलावा, उक्त विवाह की कानूनी वैधता को चुनौती देने के लिए कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। यह तर्क कि वादियों की माँ उसी जाति की नहीं थी जिससे मृतक दासाबोवी संबंधित थे, पूरी तरह से किसी भी प्रमाण या सामग्री से रहित है। इसके अभाव में, दावा मात्र एक अटकल बनकर रह जाता है।

47. प्रतिवादियों ने एक वंशावली चार्ट पेश किया है, जिसे प्रदर्शित.डी-7 के रूप में चिह्नित किया गया है; इसमें केवल स्वयं प्रतिवादियों और मृतक दासाबोवी का ही ज़िक्र है, जबकि वादियों और उनकी माँ को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसके विपरीत, वादियों द्वारा पेश किए गए प्रदर्शित.पी-7 में वादी और प्रतिवादी, दोनों को ही शामिल किया गया है, जो एक अधिक सुसंगत पारिवारिक संरचना प्रस्तुत करता है। प्रदर्शित.डी-7 में वादियों को शामिल न करने का कोई उचित कारण न बता पाना, प्रतिवादियों के इस इनकार की विश्वसनीयता को कमज़ोर करता है।

---

8 1963 एस.सी.सी ऑनलाइन एस.सी 37

48. यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रतिवादियों का यह तर्क नहीं है कि वादियों का जन्म पहली पत्नी, भीमक्का, और किसी अन्य पुरुष के बीच हुए विवाह से हुआ था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, यह निश्चित रूप से माना जा सकता है कि प्रतिवादी, वादियों की माँ और मृतक दासबोवी के बीच हुए वैध विवाह के तथ्य को गलत साबित करने का अपना दायित्व निभाने में असफल रहे।

राजस्व अभिलेख स्वामित्व का प्रमाण नहीं

49. किसी भी ठोस खंडन के अभाव में, प्रतिवादी राजस्व अभिलेखों का सहारा लेते हैं। हालाँकि, राजस्व अभिलेखों (प्रदर्शित.पी1-पी7) पर उनका भरोसा व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे अभिलेखों का केवल अनुमानित मूल्य होता है और वे स्वामित्व प्रदान नहीं करते। इस न्यायालय ने **सूरज भान एवं अन्य बनाम वित्तीय आयुक्त एवं अन्य** [9] मामले में यह टिप्पणी की थी:

> **"9. ...** यह बात भली-भांति स्थापित है कि राजस्व अभिलेखों में की गई कोई प्रविष्टि, उस व्यक्ति को स्वामित्व प्रदान नहीं करती जिसका नाम 'अधिकार अभिलेख' (record-of-rights) में दर्ज होता है। यह एक स्थापित विधि है कि राजस्व अभिलेखों या जमाबंदी में की गई प्रविष्टियों का उद्देश्य केवल 'राजकोषीय' (fiscal) होता है–अर्थात् भू-राजस्व का भुगतान करना–और ऐसी प्रविष्टियों के आधार पर किसी को भी स्वामित्व प्राप्त नहीं होता। जहाँ तक संपत्ति के स्वामित्व का प्रश्न है, इसका निर्णय केवल एक सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है (जट्टू राम बनाम हाकम सिंह, (1993) 4 एस.सी.सी 403)..."

पक्षकारों का कटघरे में उपस्थित न होना: परिणाम

50. प्रतिवादियों का अपने दावों को दस्तावेज़ी सबूतों के ज़रिए साबित करने में नाकाम रहना, एक और भी ज़्यादा गंभीर चूक के आगे फीका पड़ जाता है। ऐसे मामले में, जहाँ मुख्य विवाद पूरी तरह से उन बातों पर टिका हो जो केवल प्रतिवादी नंबर 1 की निजी जानकारी में हैं, वहाँ उनकी चुप्पी और गवाह के कटघरे से उनकी गैर-मौजूदगी–महज़ एक प्रक्रियागत चूक नहीं है, बल्कि यह जाँच-पड़ताल से बचने के लिए सोच-समझकर उठाया गया एक कदम है।

51. प्रतिवादी संख्या 1 की यह स्पष्ट चुप्पी, महज़ एक चूक नहीं, बल्कि जान-बूझकर की गई टालमटोल लगती है। प्रतिवादी संख्या 1, जो इस विवाद के केंद्र में है, ने गवाह के कटघरे में खड़े होकर वादियों की माँ और उनके पति के बीच के रिश्ते के बारे में गवाही देना उचित नहीं समझा। उसकी गवाही का सीधा संबंध न केवल वादियों की माँ की स्थिति से था, बल्कि उसकी अपनी स्थिति से भी था। इसके पक्ष में केवल

---

9 (2007) 6 एस.सी.सी 186

चौदम्मा (मृतक) विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य बनाम
वेंकटप्पा (मृतक) विधिक प्रतिनिधिगण एवं अन्य

यही तर्क दिया गया कि प्रतिवादी संख्या 1, जो अस्सी वर्ष की वृद्धा है और गठिया (arthritis) से पीड़ित है, अदालत की कार्यवाही में उपस्थित होने में असमर्थ थी।

52. हालाँकि, यह बचाव खुद रिकॉर्ड से ही पूरी तरह से खारिज हो जाता है। डी.डब्लू1 (बालाचंद्रप्पा) का बयान साफ तौर पर यह दिखाता है कि डी.डब्लू2 (जी.वी. वेंकटप्पा), डी.डब्लू3 (तिम्मप्पा) और डी.डब्लू4 (वी. तिम्मप्पा) की जाँच के दौरान प्रतिवादी नंबर 1 कोर्ट में शारीरिक रूप से मौजूद थी। इससे यह भी पता चलता है कि जब पी.डब्लू1 (वेंकटप्पा) का बयान रिकॉर्ड किया जा रहा था, तब भी प्रतिवादी नंबर 1 कोर्ट में मौजूद थी। अगर प्रतिवादी नंबर 1 कई मौकों पर कोर्ट में हाज़िर हो सकती थी, तो उसके अपने बयान न देने की कोई और वजह नहीं बचती, सिवाय इसके कि उसने जान-बूझकर ऐसा किया हो।

53. यह निष्कर्ष अनिवार्य है। यह चिकित्सा अक्षमता का मामला नहीं, बल्कि जान-बूझकर साधे गए मौन का मामला है। दीवानी कार्यवाहियों में–विशेषकर जहाँ तथ्य पूरी तरह से किसी पक्षकार के निजी ज्ञान के दायरे में आते हों–गवाह के कटघरे में खड़े होने से इनकार करने के गंभीर साक्ष्यगत परिणाम होते हैं।

54. यह सिद्धांत न तो नवीन है और न ही अनिश्चित। इस न्यायालय ने '**विद्याधर बनाम माणिकराव एवं अन्य**'[10] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया था:

I. "**17.** जहाँ मुकदमे का कोई पक्षकार गवाह के कटघरे में उपस्थित नहीं होता और शपथ लेकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करता, और न ही स्वयं को दूसरे पक्ष द्वारा जिरह (cross-examination) के लिए प्रस्तुत करता है, तो यह उपधारणा उत्पन्न होगी कि उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया मामला सही नहीं है...।"

55. यह मामला उपरोक्त सिद्धांत का एक सशक्त उदाहरण है। प्रतिवादी संख्या 1, यद्यपि सुनवाई के दौरान न्यायालय में शारीरिक रूप से उपस्थित थी, फिर भी उसने वादियों के दावों का खंडन करने के लिए गवाह के कटघरे में खड़े होने से परहेज़ किया – ऐसे दावे जो विवाद के मूल पर ही प्रहार करते हैं। अपनी कथित अक्षमता के समर्थन में किसी ठोस चिकित्सीय साक्ष्य के अभाव में, गवाह के कटघरे से उसका परहेज़, उस पर निहित साक्ष्य के भार से जानबूझकर बचने का प्रयास माना जाएगा।

56. वर्तमान तथ्यात्मक परिप्रेक्ष्य में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(जी) के अंतर्गत प्रतिकूल उपधारणा अनिवार्य है।

57. यह न्यायालय इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता कि प्रतिवादी संख्या 1, जो कि इस विवाद का मुख्य केंद्र बिंदु है, ने न केवल गवाह के कटघरे में आने से परहेज़ किया, बल्कि जान-बूझकर उस वैधानिक उपचार को भी छोड़ दिया जो शारीरिक अक्षमता का दावा करने वालों के लिए उपलब्ध होता है।

---

10 (1999) 3 एस.सी.सी 573

58. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के ऑर्डर XXVI, नियम 1 के तहत, उम्र या शारीरिक कमज़ोरी के मामलों में एक कमीशन के माध्यम से गवाही दर्ज करने की अनुमति दी गई है। फिर भी, इस प्रावधान का हवाला देते हुए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया, और न ही इसका उपयोग न करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण दिया गया। ऐसे विवाद में, जहाँ मामले के मूल तथ्य पूरी तरह से केवल उसी के विशेष ज्ञान के दायरे में आते हैं, ऐसी चूक का महत्व अत्यंत बढ़ जाता है। उसकी कथित स्थिति के अनुरूप विशेष रूप से तैयार किए गए एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय के मौजूद होने के बावजूद, गवाही देने से उसका इनकार करना, मात्र एक अनजाने में हुई चूक मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। बल्कि, यह साक्ष्य प्रक्रिया से जान-बूझकर बचने की प्रवृत्ति को दर्शाता है; और एक सुलभ कानूनी विकल्प का लाभ उठाने में उसकी अस्पष्ट विफलता ने इस बात को और भी पुष्ट कर दिया है–यह कोई सामान्य या तटस्थ कृत्य नहीं है। यह न्यायिक जाँच-पड़ताल से जान-बूझकर बचने का एक प्रयास है।

59. न्यायालय जान-बूझकर साधी गई चुप्पी को पनाह नहीं दे सकती, जहाँ जानकारी देने का फ़र्ज़ मौजूद हो। वादियों ने अपना दावा पी.डब्लू2 (हनुमंथप्पा) की नपी-तुली और अडिग गवाही पर आधारित किया; यह गवाही उनके निजी ज्ञान और लंबे समय से चली आ रही जान-पहचान पर आधारित थी, जो जिरह की कड़ी कसौटी पर भी खरी उतरी। उनकी गवाही–जो अडिग और एक जैसी थी–को वादियों द्वारा पेश किए गए वंशावली चार्ट से और भी ज़्यादा पुष्टि मिली। इसलिए, यह बात साबित हो जाती है कि वादियों ने कानून द्वारा उन पर डाला गया सबूत पेश करने का बोझ सफलतापूर्वक निभा दिया है। इसके विपरीत, प्रतिवादी–जिनके पास न तो कोई ठोस सबूत था और न ही कोई ईमानदारी–ने केवल बातों से इनकार करने का सहारा लिया। जब इस मामले को 'संभावनाओं की प्रबलता' (preponderance of probabilities) की कसौटी पर परखा जाता है, तो तराजू का पलड़ा साफ़ तौर पर वादियों के पक्ष में झुक जाता है।

60. हमारी यह दृढ़ राय है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा नियमित प्रथम अपील संख्या 935/2005 में दिनांक 28.10.2010 को पारित विवादित निर्णय में ऐसी कोई भी त्रुटि नहीं है, जिसके कारण इस न्यायालय द्वारा उसमें हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो।

61. इसलिए, यह अपील फेल हो जाती है और इसमे कोई दम नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जाता है ।

खर्च वहन का कोई आदेश नहीं।

मामले का परिणाम: अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।